

(भाग-क)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए रजिस्टर
 अभ्यर्थी का नाम : श्रीमती सरोज सोनकर
 राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो : भारतीय जनता पार्टी
 निर्वाचन क्षेत्र जहां से निर्वाचन लड़ा गया : 282- वरदा (अ.ज.0) उप-चुनाव
 परिणाम की घोषणा की तारीख : 24/10/2019
 निर्वाचन एजेन्ट का नाम एवं पता : श्रवण कुमार शुक्ल
 उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय :

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक, दोनों तारीखें सम्मिलित)

1	2			3	4	5	6	7	8	9
	विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर							
				कुल राशि ₹0 में (भुगतान किया गया + बकाया)	आदाता का नाम और पता	बिल सं0/ वाउचर सं0 और तारीख	अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि	राजनैतिक पार्टी द्वारा उपगत/ प्राधिकृत राशि और राजनैतिक दल का नाम	अन्य व्ययित/ संस्था/ निकाय/ किसी अन्य द्वारा उपगत/ प्राधिकृत राशि (पूरा नाम और पता लिखें)	टिप्पणी, यदि कोई हो
	24/10/19			8500=00 भुगतान			स्वयं			जमानत राशि वाहन स्टेशनरी नोटरी वगैरह
	24/10/19			1350=00 भुगतान	श्री ब्रम्हा प्रसाद	1		जिला दयक्ष गोजपा		नामांकन के पूरे
	24/10/19			4290=00 बकाया	श्रावस्ती टेक्ट हाउस	2	स्वयं			
	24/10/19			11000 व काया	श्री ब्रम्हा प्रसाद	3				नामांकन दिवस प्राप्त काया
30/9/19	कार्यालय जर्नल टेक्ट (21/10/19 तक)			6140=00 व काया	श्रावस्ती टेक्ट हाउस	4	स्वयं			दिनांक 30/9/19 से 21/10/19 तक
30/9/19	कार्यालय जर्नल (गोजपा)	10	40/-	400=00 व काया	कौशल जायसवाल	5	"			कार्यालय पर प्रति दिन के खिाव से पेक्ट सिधजापान
30/9/19	प्रत्याशी की खर्च का भोजन व जलपात्र (गोजपा)	20 प्रति	100	2000=00 व काया	त्रिजनिवाह		स्वयं			प्रतिदिन प्रत्याशी का भोजन जलपात्र
30/9/19	प्रत्याशी के चाल के हेतु	25 प्रति	500	12500=00 व काया	श्री कलामुडनी	6	"			स्वयं की गाडी को पकने के लिए
30/9/19	प्रचार प्रसार हेतु डीजल	1000 प्रति	67 94	67940/- व काया	शिवाही आर्ये गोवा डील स्टेशन नानपारा रोड	7	"			वाहन 92800 की प्रतिदिन के खिाव से
01/10/19	प्रत्याशी का गोजपा जलपात्र	2 प्रति	100	200=00 व काया	त्रिजनिवाह		"			प्रत्याशी व काया के गोजपा जलपात्र
02/10/19	"	"	100	200=00 व काया	"		"			"
03/10/19	"	"	100	200=00 व काया	"		"			"
				112920=00						

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए)।

Shravan
निर्वाचन अधिकारी

(भाग-क)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम : श्रीमती सोनू सोनकर

राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो : भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र जहां से निर्वाचन लड़ा गया : 202-बल्हा (अ०ज०) उप निर्वाचन

परिणाम की घोषणा की तारीख : 24/10/2019

निर्वाचन एजेंट का नाम एवं पता : श्रवण कुमार शुक्ला

उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय :

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक, दोनों तारीखें सम्मिलित)

1	2 व्यय की प्रकृति			3 कुल राशि रु० में (भुगतान किया गया + बकाया)	4 आदाता का नाम और पता BF-112920-00	5 बिल सं०/ वाउचर सं० और तारीख	6 अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि	7 राजनैतिक पार्टी द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि और राजनैतिक दल का नाम	8 अन्य व्यक्ति/संस्था/निकाय/किसी अन्य द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (पूरा नाम और पता लिखें)	9 टिप्पणी, यदि कोई हो
	विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर							
					श्रीमती के प्रति का वाहन	8	-	-	-	स्वयं के परिवार का वाहन
				25040/-	श्रीमती सोनू सोनकर	9	स्वयं	-	-	दिनांक 21/10/19 से 24/10/19 तक
	UP40AC8182	1	1565/-	25040/-	श्री विश्वनाथ गुरु	10	"	-	-	"
	UP40AE4281	1	1565/-	25040/-	श्री नफीस खान	11	"	-	-	"
04/10/19	UP40R0040	1	1565/-	25040/-	सुरज कुमार वर्मा	12	स्वयं	-	-	"
"	UP40AB0055	1	1565/-	25040/-	अनूप कुमार वर्मा	13	"	-	-	"
08/10/19	UP40K9214	1	1565/-	20345/-	रामनारायण वर्मा	14	"	-	-	दिनांक 07/10/19 से 19/10/19 तक
"	UP40V7010	1	1565/-	20345/-	दिवेश कुमार	15	"	-	-	"
"	UP31BE1977	1	1565/-	20345/-	सिरागुल	16	"	-	-	"
"	UP40R1377	1	1565/-	20345/-	पुत्तन जाँ	17	"	-	-	"
"	UP40AE4614	1	1565/-	20345/-	समीर	18	"	-	-	"
"	UP31AT1699	1	925/-	12025/-	निशार	19	"	-	-	"
"	UP32FW6909	1	1565/-	20345/-	विकास सिंह	20	"	-	-	"
09/10/19	UP3AY1489	1	1565/-	17215/-	शकेश कुमार	21	"	-	-	दिनांक 09/10/19 से 19/10/19 तक
"	UP31AS2942	1	1565/-	17215/-	दिलीप कुमार	22	"	-	-	"
"	UP31ALS276	1	1565/-	17215/-	मोडू लोनी	23	"	-	-	"
				423860-00						

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेंट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए)।

Shrawan
निर्वाचन एजेंट का नाम

(भाग-क)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम : श्रीमती यशरोज खोन्कर
 राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो : भारतीय जनता पार्टी
 निर्वाचन क्षेत्र जहां से निर्वाचन लड़ा गया : 282- बलघा (अ०जा०) उपनिर्वाचन
 परिणाम की घोषणा की तारीख : 24/10/2019
 निर्वाचन एजेन्ट का नाम एवं पता : शिवण कुमार् शुक्ल
 उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय :

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक, दोनों तारीखें सम्मिलित)

1 व्यय/घटना की तारीख	2 व्यय की प्रकृति		3 कुल राशि रु० में (भुगतान किया गया + बकाया)	4 आदाता का नाम और पता BF-423 B60=00	5 बिल सं०/वाउचर सं० और तारीख	6 अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि	7 राजनैतिक पार्टी द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि और राजनैतिक दल का नाम	8 अन्य व्यक्ति/संस्था/निकाय/किसी अन्य द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (पूरा नाम और पता लिखें)	9 टिप्पणी, यदि कोई हो
	विवरण	मात्रा							
09/10/19	UP40J 1632	1	1555	11 कि०	17215	अवध विहारी			दिनांक 09/10/19 से 19/10/19 तक
"	UP40AE 6728	1	1555	11 कि०	17215	कोकिला प्रसाद			
"	UP31T 9229	1	925	11 कि०	5550	सराफा अली			
	दिनांक 09/10/19 मुम्बई 5771 पारिकेरी कादि	-	-	-	8000	प्रावल्दी देव एवाश केशराम			
	दिनांक 09/10/19 मुम्बई 5771 रायकोडी	-	-	-	8000				

दिनांक 09/10/19 मुम्बई 5771 लखनऊ 3552 मालिक	-	-	-	12000	9 काय	"	"		
दिनांक 06/10/19 मुम्बई 5771 मसरा 7018	-	-	-	1900	9 काय	"	"		
दिनांक 06/10/19 मुम्बई 5771 (उजोली) कादि	-	-	-	2000	9 काय	"	"		
दिनांक 07/10/19 मुम्बई 5771 वसुदेविकावादि	-	-	-	1500	9 काय	"	"		
दिनांक 07/10/19 मुम्बई 5771 शीतलदेवीवादि	-	-	-	1700	9 काय	"	"		
				493090=00	SOR रजिस्टर के अनुसार कुल व्यय	510915			
धस्ता				+	17825=00				
कुल योग					510915=00				
वर्ष 2019 का 49 हजार 3090 रूपये और 17 हजार 825 रूपये का कुल योग									

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रामाणिक अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए)।

(3)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर